न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 569 / 2025

अनवान : –

1. सुनील पुत्र दलीप जाति जाट निवासी वार्ड स0 29 नोहर तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. दलीप कुमार पुत्र छगनलाल डुडी जाति जाट निवासी वार्ड स0 29 नोहर तहसील नोहर।
2. सरोज कुमारी पुत्री दलीप कुमार जाति जाट निवासी वार्ड स0 29 नोहर तहसील नोहर।
3. विमला पुत्री दलीप कुमार जाति जाट निवासी वार्ड स0 29 नोहर तहसील नोहर।
4. मनिषा पुत्री दलीप कुमार जाति जाट निवासी वार्ड स0 29 नोहर तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री कुलदीप सिंह खुड़िया अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 20/06/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि चक 15 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 63 / 55 की कुल 3.0360 हैक्ट भूमि में से 1 / 3 हिस्सा भूमि व रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के खाता स0 4 / 5 की कुल 5.7670 हैक्ट भूमि में से 1998 / 5767 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 जो की वादी व की बहिने एवं प्रतिवादी स0 1 की पुत्रीया है उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी व के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है एवं प्रतिवादी स0 1 जो की वादी का पिता है वयोवृद्ध हो चुका है इसलिए उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहता है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी काबिज है जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की रोही मौजा चक 15 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 63/55 की कुल 3.0360 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा भूमि व रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के खाता स0 4/5 की 5.7670 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज 1998/5767 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादी स0 1 दोनो को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 जो की वादी व की बहिने एवं प्रतिवादी स0 1 की पुत्रीया है उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी व के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है रोही मौजा चक 15 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 63/55 की कुल 3.0360 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा भूमि व रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के खाता स0 4/5 की 5.7670 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज 1998/5767 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादी स0 1 दोनो को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को कोई ऐतराज नही है। अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि चक 15 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 63/55 की कुल 3.0360 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि व रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के खाता स0 4/5 की कुल 5.7670 हैक्ट भूमि में से 1998/5767 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 15 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 63/55 की कुल 3.0360 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा भूमि व रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के खाता स0 4/5 की 5.7670 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज 1998/5767 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादी स0 1 दोनो को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/06/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 569 / 2025

अनवान : –

1. सुनील पुत्र दलीप जाति जाट निवासी वार्ड स0 29 नोहर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. दलीप कुमार पुत्र छगनलाल डुडी जाति जाट निवासी वार्ड स0 29 नोहर तहसील नोहर।
2. सरोज कुमारी पुत्री दलीप कुमार जाति जाट निवासी वार्ड स0 29 नोहर तहसील नोहर।
3. विमला पुत्री दलीप कुमार जाति जाट निवासी वार्ड स0 29 नोहर तहसील नोहर।
4. मनिषा पुत्री दलीप कुमार जाति जाट निवासी वार्ड स0 29 नोहर तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 569 सन 2025 निर्णय दिनांक 20/06/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री कुलदीप सिह खुडिया एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौज़ा चक 15 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 63 / 55 की कुल 3.0360 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज 1 / 3 हिस्सा भूमि व रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के खाता स0 4 / 5 की 5.7670 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज 1998 / 5767 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादी स0 1 दोनो को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/06/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर